न्यायालय –विक्रम सिंह डावर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इंदौर, म0प्र0

शिकायत क.– 22104260016569 थाना अपराध शाखा इंदौर

आवेदक–रामपाल लक्षकार राशि 4900/–

Date of order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
11-06-2026	आवेदक **रामपाल लक्षकार पिता कुन्दनमल लक्षकार** द्वारा श्री **सौरभ अहिरवार** अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा धारा 497, 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पर विचार हेतु नियत है। अपराध शाखा इंदौर से शिकायत कमांक **22104260016569** के संबंध में प्रतिवेदन पेश। प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के माध्यम से (1)बैंक **एक्सिस बैंक** के खाता क.–**925010040283305** में से **1900**/– रूपये, (2)बैंक **एक्सिस बैंक** के खाता क.–**925010040283305** में से **3000**/– रूपये, (3)बैंक .....के खाता क..... .....में से ...../– रूपये, की राशि अज्ञात आरोपीगण द्वारा ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के माध्यम से धोखाधड़ी कर स्वयं के बैंक खाते में जमा करा लिये थे जो प्रार्थी/सुपुर्ददार के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। आवेदन पर विचार किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि प्राप्त शिकायत कमांक **22104260016569** में आवेदक के (1)बैंक **एक्सिस बैंक** के खाता क.–**925010040283305** में से **1900**/– रूपये, (2)बैंक **एक्सिस बैंक** के खाता क.–**925010040283305** में से **3000**/– रूपये, (3)बैंक .....के खाता कमांक.....में से ...../– रूपये, ट्रांसफर हुए हैं। जिस संबंध में आवेदक द्वारा बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इस आशय का स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि संदिग्ध खाता धारक से मेरा कोई व्यक्तिगत संव्यवहार नहीं है तथा आवेदक द्वारा पूर्व में उक्त शिकायत के संबंध में कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः यह आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम सुपुर्दगी आवेदन है। आवेदक के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर **7533**/– रूपये व **9840**/–राशि फ्रीज की गई है। पुलिस अपराध शाखा इंदौर द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि उक्त राशि आवेदक	Rampal

को सुपुर्दगी पर दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है दावाकृत संपत्ति के संबंध में अन्य कोई दावेदार भी नहीं है।

अपराध शाखा इंदौर द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर संदिग्ध

(1)बैंक **कोटक महिंद्रा** के खाता क. **5549449280** में से **7533**/– रूपये,

(2)बैंक **एस.बी.आई.** के खाता क. **00000042032314995** में से **9840**/– रूपये,

(3)बैंक .....के खाता क.....में से ...../– रूपये,

की राशि फ्रीज की गई है जिस संबधं में पुलिस काइम ब्रांच द्वारा थाने से प्रतिवदेन प्रस्तुत कर स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि आवेदक के खाते से **14899/– रूपये** अंतरित हुए है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त राशि शिकायत के आधार पर पुलिस काइम ब्रांच इंदौर द्वारा फ्रीज की गई तथा उक्त राशि 1900/– व 3000/– रूपये आवेदक की है इस संबंध में भी कोई अनापत्ति प्रतिवेदन में प्रस्तुत नहीं की गई है। चूंकि संदिग्ध खाते, जिसको फ्रीज किया गया उसमें पुलिस प्रतिवेदन अनुसार 1. **7533/–राशि**, 2.**9840/– राशि** जमा है।

अतः राशि 1900/– व 3000/– रूपये के संबंध में आवेदन स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा **10000/– रूपये** का सुपुर्दनामा व इतनी ही राशि का बंधपत्र इस शर्त पर प्रस्तुत किये जाने पर कि वह न्यायालय के आदेश पर फ्रीज राशि 15 दिवस के अंदर जमा करेगा तो **रूपये** राशि **1900/– व 3000/– रूपये** –**<u>संदिग्ध खाते में होने पर</u>** आवेदक के खाते में ऑन लाइन ट्रांसफर के माध्यम से जमा कराये जाने हेतु संबंधित बैंक व पुलिस को निर्देशित किया जाए।

पत्रावली थोडी देर बाद पेश हो।

विक्रम सिंह डावर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इंदौर, म0प्र0

पुनश्चः

आदेश के पालन में सुपुर्ददार **रामपाल लक्षकार पिता कुन्दनमल लक्षकार, निवासी–242, जगजीवन राम नगर, इंदौर, म.प्र.** द्वारा जप्तशुदा राशि **4900/–रूपये** का सुपुर्दनामा श्री सौरभ अहिरवार अधिवक्ता द्वारा पहचान करते हुए पेश किया जो बाद विचार स्वीकृत किया गया।

राशि रिलीज किये जाने हेतु पत्र जारी हो।

पत्रावली विधिवत् अभिलेखागार भेजी जावे।

11.06.19

विक्रम सिंह डावर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इंदौर, म0प्र0